

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर0ए0एस0

सुकदमा नम्बर - 22/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उगवान

- 1- उगमा पुत्र मोहन जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 2- कन्हैयालाल पुत्र मोहन जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 3- किशनलाल पुत्र मोहन जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 4- चान्दू पुत्री हीरा जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 5- भागीरथ पुत्र मोहन जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 6- रामस्वरूप पुत्र हीरा जाति कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- रामप्रसाद पुत्र रामरतन कुमावत निवासी अमरगढ़ तहसील बनेड़ा।
- 2- बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- भारतीय स्टेट बैंक शाखा बनेड़ा
- 4- तहसीलदार बनेड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता प्रार्थी:- मुरारी जोशी

निर्णय

दिनांक :- 13/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 9 के आराजी नम्बर 19 रकबा 0.6829 है0 एवं आराजी सं. 6 रकबा 0.8220 है0 कुल किता 2 रकबा 1.5049 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 9 के आराजी नम्बर 19 रकबा 0.6829 है0 एवं आराजी सं. 6 रकबा 0.8220 है0 कुल किता 2 रकबा 1.5049 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के



(Handwritten signature)

अधिकारी है। इस आदेश से किराी भी पक्षकार का राजस्व अगिलेख में किराी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किराी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का मुशी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 9 के आराजी नम्बर 19 रकबा 0.6829 है0 एवं आराजी सं. 6 रकबा 0.8220 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 1.5049 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा को 700/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका भय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(नेहा धीमा)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा